11.4.18

18-5-18

फरावली राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय अभियान 2018 में रा० उ० प्रा० विद्यालय पेश हुई। प्रार्थी सं० 1 एवं अप्रार्थी सं० 4 उपस्थित आये। अप्रार्थी सं० 4 ने निवेदन किया की मेरे भूमि को सीमांकन करवा पाऊँगे। अप्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमांकन नियमानुसार ग्रा० प्र० भरकर सीमांकन करवाने हेतु सहमत गये। लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुना गया एवं फरावली का अवलोकन कर दि० 25-7-16 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को मौके एवं रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। फरावली फैसल कुमार टोकर द्वारा नम्बर से कम है। आदेश पत्र में आगे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

18-05-18

Scanned by CamScanner